उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-6

संख्या-69/2025/आई/1158505/2025/23-6099(099)/291/2025

लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2025

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 18 मार्गों के नवीन कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-52/2025/आई/1141254/001-23-6099(099)/291/2025, दिनांक 12.11.2025 की तालिका के क्रमांक-8 के कॉलम-4 में अंकित कार्य ''**कम्पिल बाईपास परिक्रमा मार्ग से सिवारा रोड होते हुए ग्रासपुर चौराहे तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य**'' के नाम में शब्द ''**पुनर्निर्माण**'' के स्थान पर टंकण त्रुटिवश शब्द **''नव निर्माण''** अंकित हो गया है।

2- अतः उपर्युक्त शासनादेश की तालिका के क्रमांक-8 के कॉलम-4 में अंकित कार्य **''कम्पिल बाईपास परिक्रमा मार्ग से सिवारा रोड होते हुए ग्रासपुर चौराहे तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य''** के नाम में **''नवनिर्माण''** शब्द को **''पुनर्निर्माण"** पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या-52/2025/आई/1141254/001-23-6099(099)/291/2025, दिनांक 12.11.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- विशेष सचिव, धर्मार्थ कार्य अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6-सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11-सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12-वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13-राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14-अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15-लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ0प्र0 शासन।
16-नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

www.shasanadesh.up.gov.in